नम्बर व अहकाम हुक्म की ता... जारी हुए

न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई जिला - भरतपुर (राज.)
(पीठासीन अधिकारी श्री विनोद कुमार मीना RAS)

प्रकरण सं. 156/2013
किस्म. मु. प्रार्थना पत्र - अन्तर्गत - धारा 212 RTA
निर्णय दिनांक 27/02/2020

(1) शकुन्तला देवी पुत्री रामस्वरूप जाति - ब्राह्मण - निवासी - बोलखा तह० नदबई जिला - भरतपुर (राज.)

सायल / प्रार्थी

बनाम -

(1) विष्णु पुत्र राधा किशन .
(2) छोटी बेवा राधा किशन . जाति - ब्राह्मण निवासी - बोलखा तह. नदबई जिला भरतपुर (राज.)

- गैरसायल / अप्रार्थीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय : प्रार्थना पत्र - अन्तर्गत धारा 212 RTA

(1) यह है कि - उपरोक्त उनवानी मुकदमा न्यायालय श्रीमान पेश है जिसमे कामयाबी की प्रार्थना है

(2) यह है कि - विवादित आराजी ख.न. 77 रकबा 0.04 व 612 रकबा 0.51 व 67 रकबा 0.36 व 68 रकबा 0.39 व 115 रकबा 0.48 वाके ग्राम बोलखा पर स्थित है जिस पर सायला मुताबिक हिस्सा कब्जा काश्त कर रही है सजरा पेश है

(3) यह है कि - मुताबिक सजरा के उक्त आराजी सायला के स्वर्ग- पिता रामस्वरूप के नाम दर्ज है जिसकी उक्त आराजी सायला मय

सहायक कलक्टर
नदबई जिला भरतपुर

Scanned by CamScanner

मृतक माता मिश्रन देवी के नाम मृतक पिता रामस्वरूप द्वारा जरिये वसीयत नामा और सायला द्वारा अपने पक्ष में रजिस्टर्ड वसीयतनामा अपनी माता मिश्रन देवी से कराया था जिसकी सायला मुताबिक हिस्सा के काश्तकार रही है और अपने नाम कुल आराजी का दाखिला खारिज दर्ज कराने की अधिकारी है परन्तु गैरसायलान से. 1 व 2 द्वारा दिनांक 7.10.13 को धमकी दी उक्त आराजी पर जबरन बोरिंग लगाकर रहेंगे तथा सायला को उसके हिस्से से बेदखल करके रहेंगे जबकि गैरसायलान को ऐसा करने का कोई हक प्राप्त नहीं है, इसलिए सायला गैरसायलान से.1 व 2 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने की अधिकारी है।

4) यह कि प्रथम दृष्टया केस एवं सुविधा का सन्तुलन सायला के हक में बखूबी साबित है।

(5) अतः प्रार्थना है कि सायला का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर गैर सायलान को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे विवादित आराजी जो सायला की आराजी है में कोई बोरिंग नहीं करावे करावे व मौके की यथा स्थिति बनाये रखें।

सायला प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र दर्ज रजि. किया जाकर गैर सायला अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किये गये अप्रार्थीगण/गैरसायलान की ओर से श्री लक्ष्मण सिंह एड. उपस्थित होकर उनकी ओर से जवाब प्रा.पत्र पेश किया गया तथा अपने जवाब में वर्णित किया कि-

(1) यह कि वाद पत्र की चरन सं.2 के मुताबिक ख.न. 711, 612, 67, 68, 115 के वाके ग्राम बौलारा में स्थित होने के आशय का कथन गलत है गैर सायल सं.2 ने साबिक ख.न. 56, 78 के 1/2 हिस्से को जरिये रजि. बयनामा दिनांक- 13/8/1981 को रामस्वरूप पुत्र दुर्गाप्रसाद जाति-ब्राह्मण सा. बौलारा को अन्य आराजी के साथ-2 जरिये रजि. बयनामा की [illegible] किया था जिससे नवीन ख.न. 67, 68 व 115 वाके ग्राम- बौलारा बने हैं।

सहायक कलक्टर
नदबई जिला भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

उक्त आराजी पर गैर सायला खातेदार की बतद काबिज है. ये अ-प आराजी पर हिस्सा मुताबिक के काबिज है. सायला का विवादित आराजी पर कोई कब्जा नहीं है.

2) मद हीक्रम-916 पत्र की धारा स.3 बिल तरीके से बाकि की गई है गलत है. ख.न. 67, 68 व 115 और सायला स.2 ने दिनांक 13/8/1981 को वसीयत रजि. बयनामा खरीद की थी. तथा वसीयतनामा की आराजी पर सायला के नाम खातेदारी आ चुकी है ख.न. 711 एवं 612 वाके मौजा पर कोई कब्जा नहीं है. और सायला द्वारा कोई [illegible] नहीं है. वारिस पहले ही लगा हुआ है. इसलिए सायला का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे.

सायला द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेज के रूप में नकल जमाबंदी सेवत-2069-2072 वाके मौजा पेश की है/

और सायलान द्वारा-दस्तावेज के रूप में. नक्शा-ट्रेस-जमाबंदी सेवत-2069 से 72-, नकल फोटो प्रमाणित रजि-बयनामा 13/8/81, नकल मिलान खसरा सेवत-2060 वाके मौजा, नकल आदेश-दिनांक-14-06-RAA भरतपुर, नकल आदेश-दिनांक-12-01-81 सहायक जिलाधीश-भरतपुर पेश की गई.

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उक्त प्रार्थना पत्र धारा 212 RTA उभयपक्षी सायला वकील का कहना है क्रम-[illegible] वा.न. [illegible] धारा-88,89,188 RTA के तहत खातेदारी घोषणा का है प्रार्थिया विवादित आराजी के खातेदार रामस्वरूप की पुत्री है अतः मृतक रामस्वरूप की विधिक वारिस है तथा [illegible] में मृतक रामस्वरूप के वारिसों का लगना है जिस पर कायमी द्वारा कोई आपत्ति नहीं की है अतः विवादित आराजी पर हक को [illegible] मौके की यथास्थिति बनाये रखी जावे-

और सायलान वकील द्वारा बोलन [illegible] क्रम-पूर्व में विचाराधीन प्रकरणों में विवादित आराजी बाबत आदेश हो चुका है अतः [illegible]-

सहायक कलक्टर
नदबई जिला भरतपुर

Scanned by CamScanner

विवादित आराजी जिसके साबिक ख.न. 56978 से को मृतक रामस्वरूप से जरिये रजि. बयनामा से क्रय कर लिया है। प्रार्थीद्वारा केवल कब्जाशुदा के बयनामा को रिकार्ड में अमल होने से रोकने के लिए दावा किया है एवं उ.आ. बाबत-प्रार्थीगण की अपील को न्यायालय RAA द्वारा पूर्व में खारिज किया जा चुका है। अतः प्रार्थनापत्र खारिज किया जावे।

हमने दोनों विद्वान वकीलों की बहस को सुना गया तथा पत्रावली-पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया तथा इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि-

(1) प्रथमद्रष्टया केस:- सायला द्वारा- दावा 88, 89, 188 RTA के तहत पेश किया दावे में साक्ष्य की है तथा विवादित-आराजी पर कब्जा का निर्धारण- दावे में साक्ष्य के आधार पर होगा। एवं विवादित-आराजी बाबत पूर्व में लगान-कब्जाशुदा-अपीलकर्ता द्वारा लिया गया था एवं प्रार्थीद्वारा-लगान खारिज-कराने हेतु अपील की गई थी। अतः दोनों प्रकरणों में भिन्नता है। दावे के निस्तारण के दौरान यदि विवादित-आराजी का रिकार्ड बदलता है तो दावे के निस्तारण में अनावश्यक पेचिदगी बढ़ेगी अतः प्रथमद्रष्टया मामला प्रार्थिया के पक्ष में है।

(2) सुविधा का सन्तुलन:- प्रार्थी/सायला के पक्ष में सुविधा का सन्तुलन है।

(3) अपूरणीय क्षति:- विवादित-आराजी पर लगान-बटवारा नहीं रखा जाता है तो विवादित-आराजी एवं रिकार्ड की स्थिति में बदलाव होगा तथा अपूरणीय क्षति-सायला को होगी।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर-सायला/प्रार्थिया प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अतः आदेश है कि-विवादित आराजी ख.न. 711 रकबा 0.04 व 612 रकबा 0.51, 67 रकबा 0.38 66 रकबा 0.39 व 115 रकबा 0.46 वाके ग्राम-बेलारा पर दावे के निस्तारण तक-तामीलशुदा मुकदमा-तक-कब्जाशुदा को रिकार्ड व मौके की यथा स्थिति-बनाये रखने हेतु पाबन्द किया जाता है।

निर्णय-आज दिनांक-27/2/2020 को सुनाया गया-

पत्रावली मुताबिक दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
नदबई जिला भरतपुर

Scanned by CamScanner